रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 176] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 12, 1984/चैत्र 23, 1906
No. 176] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 12, 1984/CHAITRA 23, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1984

का. आ. 281(अ) :—चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 40) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अप्रैल, 1984 के तेरहवें दिन को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिस तारीख से उक्त अधिनियम के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य पर लागू होंगे ।

[सं. 2/2/84-बी. ओ. I]

वी. के. सिब्बल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th April, 1984

S.O. 281(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Chit Funds Act, 1982 (40 of 1982), the Central Government hereby appoints the 13th day of April, 1984, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the State of Tamil Nadu.

[No. F. 2|2|84-BO.I]

V. K. SIBAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984